



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

R 7069-I-17

/2017 जिला दतिया

जयेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व० फेरन सिंह

रावत

निवासी रामनगर कॉलोनी दतिया म0प्र०

.....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ़

स्टाम्पस दतिया म0प्र०

.....अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्पस दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/सी-132/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 04/03/2017 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न लिखित निवेदन है :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्पस दतिया द्वारा आवेदक के प्रकरण में जो आदेश दिनांक 04/03/2017 को पारित किया गया है वह अवैध अनूचित एवं विधि के अपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्पस दतिया के न्यायालय में आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 08/12/2016 को इस आशय से प्रस्तुत किया कि केता श्री हरमीत सिंह पुत्र श्री सरदार हरदेव सिंह जाति जाट निवासी माजरा खुर्द उर्फ पठान माजरा तह0 व जिला पटियाला हाल निवास ग्राम पनौआ तह0 बडोनी जिला दतिया म0प्र० द्वारा विकेता श्रीमति अशर्फी पत्नि श्री दिलीप सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाढ़ाखिरक जखोदा तह0 व जिला दतिया म0प्र०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7069—एक / 2017

जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५—६—२०१७	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्पस दतिया के प्रकरण क्रमांक 35 / सी—132 / 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 04—3—2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष नॉन ज्यूडिशियल ई—स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर आफ स्टाम्प ने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 04—3—2017 में आवेदक का आवेदनपत्र इस आधार पर खारिज किया है कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा—50(1) के अनुसार लिखित की तारीख के दो मास के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। आवेदक द्वारा लिखित 22—7—2016 को निष्पादित कर हस्ताक्षरित की गई तथा आवेदन दिनांक 08—12—2016 को प्रस्तुत किया गया है जो दो मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है। कलेक्टर आफ स्टाम्प ने ई—स्टाम्प वापसी हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज किया है। कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश में कोई विधि की कोई भूमि अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">(एस० एस० अली) सदस्य</p> 	